

सिर्फ ₹3 में

UP: MRO नीति के तहत पूंजी निवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई गई, अब 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे निवेशक

उत्तर प्रदेश सरकार ने विमानों के रखरखाव और मरम्मत (एमआरओ) नीति के तहत निवेश आवेदन की तिथि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। इस फैसले से विमानन क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ने की उम्मीद है जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और उद्योग आत्मनिर्भर बनेगा। यह नीति निवेशकों को भूमि आवंटन और अन्य सुविधाओं में मदद करेगी साथ ही तकनीकी संस्थानों को विमानन क्षेत्र से जोड़ेगी।

BY MANOJ KUMAR TRIPATHI

EDITED BY: SAKSHI GUPTA

UPDATED: FRI, 11 JUL 2025 10:44 PM (IST)



वायुयानों के रखरखाव के लिए अब अगले वर्ष तक स्वीकार होंगे आवेदन।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य सरकार ने वायुयानों के रखरखाव, मरम्मत व ओवरहाल (एमआरओ) नीति के तहत पूंजी निवेश के लिए आवेदन की तिथि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। सरकार के इस निर्णय से विमानन के क्षेत्र में पूंजी निवेश की संभावना बढ़ेगी।

साथ ही विमानन उद्योग को रोजगारपरक और आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। एमआरओ नीति के तहत निवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले 31 दिसंबर 2024 थी।

अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक को निर्देश जारी कर दिए हैं। वर्ष 2022 में घोषित की गई एमआरओ नीति के तहत, राज्य सरकार निवेशकों को पूंजीगत निवेश पर छूट दे रही है।